सेवा में,

श्रीमान आयुक्त महोदय,
ग्रा.वि.,उत्तराखण्ड, पौडी।

द्वाराः– उचित माध्यम।

विषयः– उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम,2017 के अनुपालन में अनिवार्य स्थानान्तरण से मुक्त रखने हेतु अनुरोध।

महोदय,

स्वास्थ्य कारणों एवं प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों के कारण मुझे वार्षिक स्थानान्तरण 2018 में वार्षिक स्थानान्तरण से मुक्त रखने हेतु निम्न प्रकार से अनुरोध करना है।

मैं लम्बी अवधि से मधुमेह की पुरानी बीमारी, नसों की दिक्कत, सरवाइकल स्पोडलाईटिस व सांस सम्बन्धी रोगों से पीडित हूँ। मेरा इलाज उत्तरकाशी एवं देहरादून स्थित विभिन्न चिकित्सालयों में चल रहा है। दिनांक 6.2.2017 को मेरा स्वास्थ्य अत्यधिक खराब होने के कारण मेरे द्वारा अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान, ऋषिकेश, श्री महन्त इन्द्रेश अस्पताल, देहरादून से अपना स्वास्थ्य परीक्षण/इलाज करवाया गया, परीक्षण में चिकित्सकों द्वारा मुझे पुरानी बीमारियों के साथ–साथ प्रोस्टेट आदि बीमारी से भी पीडित बताया गया है।

मेरी पत्नि जो कि थाइराइड, उच्च रक्तचाप एवं अन्य रोगों से पीडित हैं का वर्ष 2009 में दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान में थाईराइड का आपरेशन करवाना पडा व माह दिसम्बर 2012 में सडक दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल होने के कारण मेरी पत्नि की सर की सर्जरी सी.एम.आई. देहरादून में हुई है और तब से मेरी पत्नि को अत्यधिक परेशानियों/कमजोरी का सामना करना पड रहा है जिसका इलाज देहरादून स्थित विभिन्न चिकित्सालयों में निरन्तर इलाज चल रहा है।

मेरी 84 वर्षीय माता जी गम्भीर हृदय रोग एवं वृद्धावस्था सम्बन्धी अन्य गम्भीर बीमारियों से ग्रसित है जिनको वर्ष 2012 एवं वर्ष 2016 में दो बार गम्भीर हृदयाघात हो चुका है। रोग की गम्भीरता को देखते हुए उन्हें रात–दिन किसी भी समय आकस्मिक चिकित्सा की आवश्यकता पडती है और परिवार में एकमात्र पुत्र होने के कारण माता जी की चिकित्सा एवं देख–रेख का पूर्ण दायित्व मुझ पर है।

मैं जनपद टिहरी का मूल निवासी हूँ और जनपद– उत्तरकाशी में मेरा अन्य कोई निकट सम्बन्धी/ रिश्तेदार नही है। ऐसी स्थिति में परिवार का एकमात्र पुत्र होने उक्त उल्लिखित स्वयं अपनी एवं अन्य पारिवारिक सदस्यों की बीमारियों/प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों के कारण मेरा उत्तरकाशी में ही रहना नितान्त आवश्यक है। मेरी जन्म तिथि 15.05.1959 है जिस कारण अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर माह मई 2019 में मुझे सेवानिवृत्त होना है और इसी कारण में स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 3 (ज) में वर्गीकृत 'वरिष्ठ कार्मिक' की श्रेणी में भी वर्गीकृत हूँ।

अतः महोदय से अनुरोध है कि स्वास्थ्य कारणों एवं उक्त प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों के कारण मुझे वर्ष 2018 में स्थानान्तरण से मुक्त रखने की कृपा करें।

महोदय की इस कृपा के लिए मैं आजन्म आभारी रहूँगा।

दिनांक

भवदीय,

(राकेश चन्द्र जोशी),
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,
जिला विकास कार्यालय,
उत्तरकाशी।

जिला विकास अधिकारी
उत्तरकाशी

स्थानान्तरण से मुक्त रखने हेतु विवरण

1. कार्मिक का नाम	राकेश चन्द्र जोशी,
2. पद नाम–	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
3. तैनाती स्थान / जनपद का नाम (सुगम अथवा दुर्गम)	जिला विकास कार्यालय, जनपद– उत्तरकाशी (दुर्गम जनपद)
4. गृह जनपद–	टिहरी गढ़वाल
5. स्थानान्तरण हेतु वरियता क्रम में 10 इच्छित स्थानों के विकल्प	1. जिला विकास कार्यालय, उत्तरकाशी. 2. जिला विकास कार्यालय, देहरादून.
6. अभ्युक्ति	जन्म तिथि 15.05.1959 होने के कारण अधिवर्षता आयु पूर्ण होने पर माह मई 2019 में सेवानिवृत्ति होने एवं प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों के कारण स्थानान्तरण से मुक्त रखने हेतु अनुरोध है।

जिला विकास अधिकारी
उत्तरकाशी

(राकेश चन्द्र जोशी,)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,
जिला विकास कार्यालय,
उत्तरकाशी।